



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25649-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **2196/2026**

विजय सिंहयाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्यप्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: ब्यास कुमार प्रसाद, निशांत कुमार सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"(i). एक रिट आदेश या परमादेश की प्रकृति में निर्देश जारी करना जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को थाना धाता, जनपद फतेहपुर में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दिनांक 18.11.2025, जो मुकदमा अपराध संख्या 0168/2025, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80(2), 85 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत है, के संबंध में निष्पक्ष और तटस्थ विवेचना करने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ii). एक रिट आदेश या परमादेश की प्रकृति में निर्देश जारी करना जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत याची के मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाए।

(iii). कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

(iv). याची को याचिका का खर्च प्रदान करना।"

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में याची प्रथम सूचनाकर्ता है और उसने दिनांक 18.11.2025 को आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, परंतु पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से मामले की विवेचना नहीं कर रही है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याची प्रत्यर्थी संख्या 2- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर के समक्ष अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि याची द्वारा ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।
5. उपर्युक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजकीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

नदीम।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"